

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 मई 2021—वैशाख 14, शक 1943

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2021

क्र. एफ-5-10-2018-बयालीस-(1)— तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश के पॉलिटिकल के प्रबंधन के संबंध में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12 जुलाई 2001 को प्रकाशित किए गए हैं, में, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 4 में, उप-नियम (ग) में, प्रथम पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“सामान्य परिषद् के अध्यक्ष का मनोनयन राज्य शासन द्वारा किये जाने तक सामान्य परिषद् के उपाध्यक्ष अर्थात् जिला कलेक्टर अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।”

F 5-10-2018-XLII-1.- Department of Technical Education & Skill Development Ministry, Vallabh Bhawan, Bhopal published in Gazette (Extra-Ordinary) Govt. of Madhya Pradesh dated 12th July, 2001, The State Government hereby makes the following amendments to the rules made to ensure public participation in the management of polytechnics, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4 after clause (d), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"Till the nomination of Chairman of the General Body is made by the State Government, Deputy Chairman of the General body i.e. the District Collector shall discharge the duties of the chairman."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.